न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

विविध वाद संख्या-11/2022

रहमान मियां वगैरह

बनाम्

गोवर्धन मुण्डा वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया रहमान मियां, पिता—स्व0 शहाबुद्दीन मियां, ग्राम—पिरदाग, थाना—चन्दवा, जिला—लातेहार के द्वारा न्यायालय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर का पुनरीक्षण वाद संख्या—29/2013 (रहमान मियां एवं अन्य बनाम् जितवाहन मुण्डा एवं अन्य) में दिनांक 30.08.2019 को पारित आदेश के आलोक में भू—वापसी अपील वाद संख्या—01/2010 में पुनर्विचार हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। कार्यवाही के दरम्यान उत्तरवादी जितवाहन मुण्डा एवं होसवा मुण्डा की मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र गोवर्धन मुण्डा, बिरसा मुण्डा, सिरिल मुण्डा, सुकुरू मुण्डा, चावरे मुण्डा एवं जस्टिन मुण्डा को पक्षकार बनाया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

न्यायालय विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के भू—वापसी वाद संख्या—04/2008—09 में पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त—सह—जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा भू—वापसी अपील वाद संख्या—01/2010 (रहमान मियां वगैरह बनाम् जीतवाहन मुण्डा वगैरह) दायर किया गया। प्रश्नगत भूमि ग्राम—पीरदाग, थाना—चन्दवा अंचल—चन्दवा, जिला—लातेहार स्थित खाता संख्या—17 प्लॉट नं0—35,36,38,39,42,45 वगैरह कुल रकबा—17.18 एकड़ है। न्यायालय विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के भू—वापसी वाद संख्या—04/2008—09 (जीतवाहन मुण्डा वगैरह बनाम् रहमान मियां वगैरह) में आदेश पारित किया गया कि "भूमि को गलत तरीके से हस्तांतरित किया गया है एवं यह भूमि छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा—71(क) के अंतर्गत कार्यवाही योग्य है। अतएव प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष को

विपक्षी से प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया जाता है।"

न्यायालय विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के भू–वापसी वाद संख्या–04/2008–09 में पारित आदेश के विरूद्ध उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या–01/2010 (रहमान मियां वगैरह बनाम् जितवाहन मुण्डा वगैरह) दायर किया गया, जिसमें प्रस्तुत अपील को अस्वीकृत करते हुए विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के भू–वापसी वाद संख्या–04/2008–09 में पारित आदेश को बहाल रखा गया।

अपीलार्थी के द्वारा भू–वापसी अपील वाद संख्या–01/2010 में दिनांक 05.06.2013 को पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त, पलामू प्रमण्डल, मेदिनीनगर के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद संख्या–29/2013 (रहमान मियां एवं अन्य बनाम् जीतवाहन मुण्डा) दायर किया गया, जिसमें सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–पीरदाग, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के सी0एस0 खाता नं0–17 रकबा–17.18 एकड़ जो सी0एस0 खतियान में लालधर मुण्डा के नाम दर्ज है। लालधर मुण्डा की नावल्द मृत्यु हो गयी। इसके पश्चात भूमि का लगान देने वाला कोई नहीं रहा। वर्ष 1925 में प्रश्नगत भूमि को जमींदार ने अपने कब्जे में ले लिया और 02 वर्ष तक अपने कब्जे में रखा। अंततः प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1927 में परंपरागत हुकुमनामा के द्वारा जवाहर मियां के साथ जमींदार ने सेटलमेंट कर दिया। इसके पश्चात् जवाहर मियां प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में आ गए। बंदोबस्तधारी ने किराया कम करने हेतु उपायुक्त, पलामू के समक्ष Rent Reduction case no. 339/1938 दायर किया जिसमें किराया कम करने का आदेश पारित किया गया। जवाहर मियां ने अपने पुत्र सहदुल मियां और सहाबुद्दीन मियां को छोड़कर स्वर्गवास हो गए। अपने पिता से विरासत में मिले प्रश्नगत भूमि के हीत, दखल–कब्जा में आ गए। जागीरदार ने अपने जीवन काल तक लगान का भुगतान किया और उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को वास्तविक रैयत के रूप में मान्यता दी गई एवं लगान रसीद जारी की गई। लालधर मुण्डा के उत्तराधिकारी ने कब्जा बदलने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71 के तहत् वाद संख्या–10/1956–57 दायर किया परन्तु कालबाधित होने के कारण अस्वीकृत हो गया। पुनः विपक्षी ने विशेष पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में वाद संख्या–90/1982–83 दायर किया गया जो दिनांक–23.09.1983 को अस्वीकृत हो गया, जिसके विरूद्ध उपायुक्त,

पलामू के न्यायालय में Eviction Appeal No-XV/19/83-84 दायर किया गया जो दिनांक–01.09.1984 को खारिज हो गया। विपक्षी ने वर्ष 1984 के बाद वर्ष 2008–09 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में भू वापसी वाद संख्या–04/2008–09 दायर किया। विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा भू वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी ने न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार के समक्ष अपील वाद संख्या–01/2010 दायर किया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी ने न्यायालय आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर किया, जिसमें न्यायालय ने टिप्पणियां पारित किया और कुछ बिन्दुओं पर मामले के पुनः निर्णय के लिए इसे वापस भेज दिया। पहली बार वर्ष 1947 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 में संशोधन लाया गया था कि एक अधिभोग रैयत जो एक आदिवासी (अनुसूचित जनजाति) है, उपायुक्त की अनुमति से स्थानांतरित कर सकता है। किसी अन्य आदिवासी को बिक्री विनिमय, उपहार या वसीयत द्वारा जोत या जोत के हिस्से में उसका अधिकार जो उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर निवासी है, जिसमें जोत स्थित है। न्यायालय विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–04/2008–09 में पारित आदेश लिमिटेशन कानून द्वारा वर्जित किया गया था और रेजुडिकाटा द्वारा भी प्रतिबंधित किया गया था। पुनरीक्षण सर्वेक्षण लंबित रहने के दौरान उचित सत्यापन के बाद अपीलकर्ता के नाम पर नई खतियान भी तैयार की गयी। सर्वेक्षण कार्रवाई के लंबित रहने के दरम्यान विपक्षी ने आपति दर्ज की थी लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–258 के तहत विशेष अधिकारी के समक्ष पुरी कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी थी।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उपरोक्त अपील आयुक्त, पलामू के निर्देश पर पुनः सुनवाई हेतु वापस किया गया है। आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट है कि तत्कालीन उपायुक्त, लातेहार द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है, फलस्वरूप स्वयं के द्वारा पारित आदेश को पुनः अवलोकन करने एवं निरस्त करने का अधिकार नहीं है। ग्राम–पीरदाग, थाना–चन्दवा स्थित प्रश्नगत भूमि जिसका खाता नं0–17, प्लॉट नं0–35, 37, 38, 39, 42, 45, 48, 57, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 98, 130, 229, 268, 281, 378, 320 वगैरह कुल रकबा–17.18 एकड़ जमीन उतरवादी का खतियानी रैयती जमीन है। उतरवादी के पूर्वज लालधारी मुण्डा पिता–चिलगु

मुण्डा के नाम से प्रकाशित है तथा पूर्वज के समय से उत्तरवादी का कब्जा–दखल चला आ रहा है। अपीलार्थीगण उपायुक्त के अनुमति के बिना फर्जी तरीके से प्रश्नगत भूमि को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरवादीगण अनुसूचित जन जाति वर्ग से आते हैं। अपीलार्थीगण ने विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार के समक्ष जमाबंदी कायम करने संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया फलस्वरूप इस न्यायालय में पहली बार प्रस्तुत दस्तावेज बिल्कुल फर्जी है। अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल हुकुमनामा निबंधित दस्तावेज नहीं है। उत्तरवादीगण खतियानी रैयत के वंशज नहीं है, बिल्कुल गलत है। इसलिए अपील को खारिज किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख के दस्तावेजों का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के सी0एस0 खतियान में लालधारी मुण्डा पिता–चिलगु मुण्डा दर्ज है एवं विपक्षीगण खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से पंजी–II में जमाबन्दी किये जाने के संबंध में कोई आदेश दर्ज नहीं है। साथ ही अनुसूचित जन जाति की जमीन के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत उपायुक्त की अनुमति लिए जाने से संबंधित कोई आदेश अपीलार्थी के द्वारा इस न्यायालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि को गलत तरीके से हस्तांतरित किया गया है और मामला छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71(क) के तहत कार्यवाही योग्य पाया गया।

अतः प्रश्नगत भूमि उत्तरवादीगण को अपीलार्थीगण से वापस करने का आदेश दिया जाता है। आर0एस0 खाता में त्रुटि से संबंधित सुधार हेतु सक्षम प्राधिकार बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू के यहां आवेदन करेंगे।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंलच अधिकारी, चन्दवा, अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार, अपर समाहर्त्ता, लातेहार एवं बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

30/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

30/05/23

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2023.06.10 17:04:04 +05:30
Location: 10.93.47.5